

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 283]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 मई 2010—वैशाख 24, शक 1932

कार्यालय, कुलाधिपति, मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर

राजभवन, भोपाल, दिनांक 13 मई 2010

क्र. 788-रा.स.-यू.ए.-5-2010.—इस सचिवालय की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 438-रा.स.-यू.ए.-5-2010, दिनांक 22 मार्च 2010 के अनुक्रम में, मध्यप्रदेश, पशु चिकित्सा, विज्ञान विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2009 की धारा 22 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महामहिम कुलाधिपतिजी, द्वारा धारा 22 (2) (ड) के तहत विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड में डॉ. डी. के. जोशी, संचालक, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस, जी. टी. रोड बायपास, पी. बी. नं. 129, बसंत विहार के पास, हरियाणा को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का नामनिर्दिष्ट सदस्य मनोनीत किया जाता है.

कुलाधिपति, मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार,
शैलेन्द्र कियावत, राज्यपाल के उपसचिव.